कार्यालय मार्किट कमेटी,जीन्द

बोली सूचना

आप सभी सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मार्किट कमेटी, जीन्द अधीनस्थ नई अनाज मण्डी जीन्द में बने लोहे के दोनो कवर शैड का स्क्रैप जोकि लगभग 154.28 टन है,की खुली बोली दिनांक 29.08.2023 को दोपहर 12:30 बजे कार्यालय मार्किट कमेटी नई अनाज मण्डी जीन्द में करवाई जायेगी। उक्त स्क्रैप का आरक्षित मूल्य रू0 50 लाख निर्धारित किया गया है।

अतः सभी इच्छुक ठेकेदार/व्यक्ति फर्म दिनांक 29.08.2023 सुबह 12:00 बजे तक उपरोक्त कार्य के लिए रूपये 100000/– (एक लाख) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट जमा करवा दें। असफल बोली दाता की धरोहर राशि उसी समय वापिस कर दी जायेगी। सफल बोली दाता को राशि 72 घण्टे के अन्दर–2 18 प्रतिशत जी0एस0टी सहित राशि आर.टी.जी.एस/एनएफटी के तहत जमा करवानी होगी। विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस मे कार्यालय मार्किट कमेटी, जीन्द से सम्पर्क करें व अन्य शर्तें मौके पर सुनाई जायेगी।

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी,
मार्किट कमेटी,जीन्द

प्रशासक,
मार्किट कमेटी, जीन्द ।

कार्यालय मार्किट कमेटी,जीन्द

बोली की नियम व शर्ते

आप सभी सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मार्किट कमेटी, जीन्द अधीनस्थ नई अनाज मण्डी जीन्द में बने लोहे के दोनो कवर शैड का स्क्रैप जोकि लगभग 154.28 टन है,की खुली बोली दिनांक 29.08.2023 को दोपहर 12:30 बजे कार्यालय मार्किट कमेटी नई अनाज मण्डी जीन्द में करवाई जायेगी। जिसकी शर्ते निम्नप्रकार से हैः–

01. कवर शैड स्क्रैप का आरक्षित मूल्य रू0 50 लाख निर्धारित किया गया है। बोली से पूर्व इच्छुक फर्म/व्यक्ति स्क्रैप का निरीक्षण कर सकता है। बोली के पश्चात कमेटी की किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होगी ।

02. इच्छुक ठेकेदार/व्यक्ति फर्म दिनांक 29.08.2023 सुबह 12:00 बजे तक उपरोक्त कार्य के लिए रूपये 100000/– (एक लाख) की धरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप मे ही जमा करवानी होगी ।

03. सफल बोली दाता को बोर्ड मुख्यालय से अन्तिम स्वीकृती मिलने के बाद बोली राशि 48 घण्टे के अन्दर–2 जी0एस0टी सहित राशि आर.टी.जी.एस/एनएफटी के तहत जमा करवानी होगी।

04. बोर्ड स्वीकृति के पश्चात कवर शैड का स्क्रैप 15 दिन के अन्दर–2 उठाना अनिवार्य है और इसकी सूचना कार्यालय मार्किट मे देनी होगी । यदि आप ऐसा करने में असमर्थ पाये जाते है तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।

05. स्क्रैप उठाने के लिए लेबर, बिजली, पानी व अन्य उपकरणों के अतिरिक्त स्क्रैप की सुरक्षा का प्रबन्ध सफल बोलीदाता द्वारा स्वयं करना होगा।

06. स्क्रैप उठाते समय किसी प्रकार की दुर्घटना के लिए सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति स्वंय जिम्मेवार होगा ।

07. स्क्रैप उठाते समय यदि किसी भी प्रकार से सरकारी/प्राईवेट सम्पति को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई के लिए सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति स्वंय जिम्मेवार होगा ।

08. सफल बोलीदाता की बोली बोर्ड से स्वीकृति मिलने के पश्चात कार्य शुरू करने से पूर्व 100/–रू0 के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा अन्यथा बोली रदद् समझी जाएगी तथा धरोहर राशी जब्त कर ली जाएगी ।

09. मुख्य प्रशासक मार्किटिंग बोर्ड को बिना कोई कारण बताए मौके पर या बोली के दौरान शर्तो मे किसी भी प्रकार के बदलाव करने का तथा बोली रदद् करने का अधिकार होगा । इस बारे कोई एतराज स्वीकार्य नही होगा ।

10. उक्त बोली मे 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति भाग नही ले सकता । बिना अधिकृत पत्र के कोई भी व्यक्ति बोलीदाता के स्थान पर बोली नही दे सकता । अगर ऐसा पाया गया तो सम्बन्धित फर्म/व्यक्ति की जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी और नियमानुसार कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी ।

सचिव एवं कार्यकारी अधिकारी,
मार्किट कमेटी,जीन्द

प्रशासक,
मार्किट कमेटी, जीन्द ।